UPMP010008752026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–4, मैनपुरी।

पीठासीनः जहेन्द्र पाल सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सी०एन०आर०सं०–**UPMP010008752026**

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–**364/2026**

ऊदल उर्फ दिनेश उम्र 38 वर्ष पुत्र रामनरेश यादव निवासी ग्राम छिनकौरा थाना बेवर, जिला मैनपुरी।

----------प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----------विपक्षी

आदेश

1– प्रार्थना पत्र, प्रार्थी/अभियुक्त ऊदल उर्फ दिनेश की ओर से सत्र परीक्षण सं०–441/2014, मुकदमा अपराध सं०–669/2008 अन्तर्गत धारा–307 भा.द.स., थाना–बेवर, जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त ऊदल उर्फ दिनेश द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गांव की पार्टीबंदी के आधार पर झूठा एवं रंजिशन फसाया गया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी ने तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को अभियोजन पक्ष के चलते गलत तरीके से फसाया गया है। प्रार्थी की पत्नी की तबियत खराब हो गयी थी, उसके इलाज में लगे रहने के कारण श्रीमान् जी के न्यायालय में हाजिर नहीं आ सका था और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका था। प्रार्थी/अभियुक्त के दिनांक 25.11.2025 से एन.बी.डब्लू. हैं। पूर्व अधिवक्ता ने सही तारीख नहीं बतायी थी, जिससे एन.बी.डब्लू. हो गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.02.2026 से वारंट पर जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऊदल उर्फ दिनेश **दिनांक 24.02.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था**। अतः मामले के समस्त तथ्य व परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ऊदल उर्फ दिनेश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6– प्रार्थी/अभियुक्त ऊदल उर्फ दिनेश द्वारा 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा, गवाहान के उपस्थित आने पर उनसे जिरह करेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा तथा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित न्यायालय को प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक:17.03.2026

निखिल कश्यप आशुलिपिक

(**जहेन्द्र पाल सिंह**)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,

मैनपुरी।

JAHENDRA PAL SINGH

Digitally signed by JAHENDRA PAL SINGH
Date: 2026.03.17 14:54:57 +0530